राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...2370, 2371, 2372 एंव 2373/2012................................जिला...........श्रीगंगानगर................................

उनवान – मैसर्स पवन कुमार अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल, सिरसा हरियाणा बनाम् (1) उपायुक्त (प्रशासन), श्रीगंगानगर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/09/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी. कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर श्रीगंगानगर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.2012, जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इन अपीलों से संबंधित कर निर्धारण आदेश के संबंध में अपीलकर्ता की अपीलें उपायुक्त (अपील्स) ने अपने आदेश दिनांक 08.05.2014 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अतः उक्त अपीलों में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस बाबत प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त के सम्बंध में कोई ऐतराज नहीं किया। परिणामतः उपरोक्त तथ्यों में अब अपीलों में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होने से उक्त चारों अपीलें "सारहीन" होने के कारण ~~निस्तारित~~ खारिज की जाती हैं। निर्णय प्रसारित किया गया । (राजीव चौधरी) सदस्य 21-9-2016 (मदन लाल) सदस्य	